तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/8/24	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 मृतक अब्दुल हनीफ के कायम मुकाम बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया गया। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही में दिनांक 05/9/24 को पेश हो।	
5.9.24	वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर रहन शुदा सम्पत्ति का पट्टा उपलब्ध नहीं है। SRFAEST Act 2002 के अध्याय 6 प्रकीर्ण धारा 31(झ) के अनुसार यह कार्यवाही आवासीय पट्टे के अभाव में चलने योग्य नहीं है अप्रार्थी सं.1 अब्दुल हनीफ की मृत्यु की सूचना वकील प्रार्थी को दिनांक 03/04/24 को प्राप्त हो चुकी थी, इसके बावजूद 05 माह गुजर जाने के बाद भी आदिनांक मृतक अप्रार्थी के कायम मुकाम बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में आदेश 22 नियम 5(3) जा.दी. के प्रावधानानुसार कार्यवाही अबेट हो चुकी है। मृतक व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधि विरुद्ध है अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें। जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी	